

बिहार विद्यालय शिक्षा समिति

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 के लिए सूचीकृत/पंजीकृत विद्यार्थी का

- (i) डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति की वेबसाइट (पोर्टल) पर जारी करने, (ii) उसमें परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाईन सुधार करने, (iii) विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणापत्र सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं (iv) पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका हस्ताक्षरित Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मांशिक) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-27 के लिए सूचीकृत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले ऐसे विद्यार्थी, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन (घोषणा पत्र सहित) निर्धारित अवधि में सम्बंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया है, का डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड (Dummy Registration Card) समिति की वेबसाइट क्रमशः- इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> पर एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org> पर अपलोड कर दिया गया है, जो दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक उपलब्ध रहेगा।

2. पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में

2.1 इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन करने के क्रम में प्रेषित विवरणों को परिशुद्धता के सत्यापन हेतु विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (Prefilled) विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना था, जिसमें यह भी निदेशित था कि पूर्व से भरा हुआ (Prefilled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से समिति नहीं होगा, जिसके कारण सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहेगा।

2.2 ऑनलाईन भरे गए सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन्टरमीडिएट/माध्यमिक के कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा कई विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा गया एवं निर्धारित शुल्क भी जमा किया गया, किन्तु उनका Prefilled घोषणा पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, ऐसे विद्यार्थियों को सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहने के कारण डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है।

2.3 पूर्व से जिन विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा है, उनका Prefilled घोषणा पत्र इस अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। Prefilled घोषणा पत्र अपलोड होने के पश्चात् उन विद्यार्थियों का भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा।

3. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

(क) शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User ID एवं Password के माध्यम से उक्त वेबसाइट पर Login करने के बाद डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने संस्थान के विद्यार्थी को दो प्रतियों में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन भरे गये सूचीकरण/पंजीयन आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी इस आशय की सूचना SMS (Message) के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी स्वयं भी समिति के उक्त वेबसाइट से अपना डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निम्नवत् प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं:-

- वेब ब्राउजर के Address Bar में इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org> टाईप कर Enter करेंगे:-
- वेब पेज पर मौजूद "Click Here to Download Dummy Registration Card" लिंक पर Click करेंगे।
- तत्पश्चात् वेबसाइट का पेज खुलेगा, जहाँ पर विद्यार्थी अपना शिक्षण संस्थान कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि (एवं संकाय केवल इन्टरमीडिएट के लिए) प्रविष्ट कर, "Submit Button" पर Click करेंगे।
- इसके बाद विद्यार्थी का Dummy Registration Card दिखेगा जिसके कम्प्यूटर/मोबाइल में Download किया जा सकता है।

4. यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो विद्यार्थी द्वारा कलम से उसके सुधार करने एवं तत्संबंधी विद्यार्थी, माता/पिता/अभिभावक व शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(क) शिक्षण संस्थान के प्रधान उन सभी विद्यार्थियों, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन निर्धारित अवधि में भरा गया है, को यह निदेश देने कि वे शिक्षण संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए अवधि के द्वारा समिति के उपर्युक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि उसमें अंकित किसी विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में किसी त्रुटि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो विद्यार्थी के द्वारा उसे कलम से सुधार किया जाएगा, ताकि त्रुटि का ऑनलाईन सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में किया जा सके। किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग (ie. A,E,K,M etc), फोन्ट, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है। विहित हो कि विद्यार्थी के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। मतिष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी की पूर्ण पहचान बदल दी गयी है, तो उनका सूचीकरण/पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

(ख) जिन विद्यार्थियों के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में कलम से सुधार किया जाएगा, वे कलम से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संशोधित रहेगा।

5. शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन

के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में संस्थान के अभिलेख से मिलाना परत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन निर्धारित तिथि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन त्रुटि सुधार के पश्चात् विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के आधार पर विद्यार्थी का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इसलिए यह अत्यावश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में विद्यार्थियों से संबंधित संशोधित संगत अभिलेखों से मिलान कर निर्धारित अवधि में त्रुटि का ऑनलाईन सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे।

6. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पुनः डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थियों को दो प्रतियों में प्राप्त करा जाएगा। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरान्त पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा और यह तब तक कराया जाएगा जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए।

7. त्रुटिरहित/संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों की शुद्धता के संबंध में विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक के द्वारा अनिवार्य रूप से घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित किया जाना तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा घोषणा-पत्र को समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाना :-

7.1 पूर्व में यह ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी अथवा उनके माता/पिता/अभिभावक अवस्था शिक्षण संस्थान के प्रधान के स्तर पर पर्याप्त सतर्कता नहीं बरते जाने के कारण उनके सूचीकरण/पंजीयन से संबंधित एक या कतिपय विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिए जाते हैं तथा इसके संशोधन हेतु त्रुटिपूर्ण अवधि तक अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा त्रुटियों का संशोधन समिति के पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जाता है। विद्यार्थी से संबंधित विवरण त्रुटिपूर्ण रह जाने के कारण कतिपय विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भर जाने से एवं परिणामक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

7.2 अतः छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता/पिता/अभिभावक को भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा संस्थान प्रधान के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से उसकी शुद्धता के संबंध में घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे समिति के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। अतएव प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित विवरणों-पत्र को हस्ताक्षरित करेंगे। यह अनिवार्य है। उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

7.3 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है:- शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी जिनके संबंधित स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा-पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।

7.4 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में पाई गई त्रुटि का ऑनलाईन संशोधन किया गया है:- शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी, जिनके त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से संशोधन किया गया है, का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरान्त पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा-पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को किसी भी हाल में अवलोकन नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरांत पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन अंतिम रूप से किए गए संशोधन के पश्चात् पुनः डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।

8. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समिति के स्तर से विद्यार्थियों का जो मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत किया जाएगा वह शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से किए गए संशोधन के आधार पर ही होगा न कि उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विद्यार्थी/माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणापत्र संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के आधार पर। अतएव शिक्षण संस्थान के प्रधान त्रुटियों के ऑनलाईन संशोधन के कार्य में पूर्णतः सावधानी व सतर्कता बरतेंगे।

9. माध्यमिक के लिए यह विशेष रूप उल्लेखनीय है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह-विज्ञान के परीक्षा में शामिल होना होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी से तात्पर्य है कि ऐसे विद्यार्थी जो दोनों आँखों से देखने में सक्षम नहीं हैं। ऑनलाईन भरे गए पंजीयन के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों के डमी पंजीयन कार्ड की कड़िका-7 में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख है। यदि इस कोटि में त्रुटि हो, तो इसका अनिवार्य रूप से शिक्षण प्रधान वैकल्पिक निर्धारित अवधि में संशोधन करा लेना आवश्यक है।

10. विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित तिथि तक सुधार किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड का अवलोकन कर यह आवश्यक हो लेंगे कि उनमें डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में त्रुटि का संशोधन शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाईन त्रुटि संशोधन करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ-साथ विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक का भी होगा।

11. यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा पोर्टल (इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org>) पर दिनांक 25.07.2026 से अपलोड किए जा रहे डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User ID एवं Password का उपयोग कर डाउनलोड करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दो प्रतियों में संबंधित विद्यार्थी को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएँगे। विद्यार्थी स्वयं भी समिति की वेबसाइट (इन्टरमीडिएट के लिए <https://intermediate.biharboardonline.com> एवं माध्यमिक के लिए <https://biharboardonline.org>) से डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी, जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा-पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

11.1 जिन विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में त्रुटि परिलक्षित होती है, विद्यार्थी उसका सुधार करने से करेंगे तथा इस प्रकार से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध कराएँगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संशोधित रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गए सुधार के आलोक में, संस्थान के अभिलेख से मिलाना परत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् उन विद्यार्थियों का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आवश्यक हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरान्त पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा-पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को किसी भी हाल पर किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरांत पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन किए गए संशोधन के पश्चात् पुनः डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।

12. ऑनलाईन डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की जटिलता होने पर इन्टरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नंबर-0612-2230039 अथवा E-mail ID: bsebintherhelpdesk@gmail.com एवं माध्यमिक के लिए हेल्पलाइन नंबर-9430429722 अथवा bsebintherhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्रत्यक्ष किया जा सकता है।